बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं0-01/स्था0 (का0पदा0)-05/2018 / न०वि०एवंआ०वि०। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-41 के अधीन नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत राज्य के नगर निकायों में पदस्थापित निम्न विवरणी में अंकित कार्यपालक पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने कॉलम 3 में अंकित वर्तमान पदस्थापन निकाय से स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कॉलम-4 में अंकित नगर निकायों में कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती कुमारी हिमानी, बि०न०से० प० चम्पारण	नगर परिषद्, सासाराम	नगर परिषद्, डिहरी डालमियानगर	
2	श्री किशोर कुणाल—2, बि०न०से० पटना	नगर पंचायत बिहिया	नगर पंचायत, सिलाव	
3	श्री राकेश कुमार रोहित, बि०न०से० नवादा	नगर पंचायत, सिलाव	नगर पंचायत, बिहिया	
4	श्री सुशील कुमार, बि०न०से० औरंगाबाद	नगर परिषद्, डिहरी डालमियानगर	नगर परिषद्, सासाराम	पूर्व में दिये गए प्रभार यथावत रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-सरकार के अवर सचिव ज्ञापांक-01/स्था0 (का0पदा0)-05/2018..../न0विआ0वि, पटना/दिनांक- ु०/०/॥ ०

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित पदाधिकारी / माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सिचिवं।